

पंजीकृत डाक द्वारा

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश,

“निर्माण भवन,” प्रथम तल, प्लाट नं.27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल(म.प्र.)

**web site: www.mppwd.gov.in email:-sepwdadminenc@mp.nic.in**

**Phone- 0755-2551316, Fax- 2556527**

क्रमांक 303/034/2008/पार्ट-2.1/२७१९

भोपाल, दिनांक १६/१२/२०१५

//आदेश //

मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा विभाग में उपयंत्री(वि/यां) के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम-1972 (संशोधन सहित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विभाग में उपयंत्री (वि/यां) के पद पर वेतनमान -**PB-2-₹.9300-34800+GradePay₹.3200/-**—में शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्तों सहित अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन स्थानापन्न रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :—

स.क्र.	संयुक्त वरि.क्रम	वर्ग	उम्मीदवार का नाम एवं पिता का नाम	नियुक्ति पश्चात प्रथम पदस्थगी स्थान का नाम
1	2	3	4	5
1	44	अनु. जाति/ ओपन	श्री कपिल राजे, आत्मज श्री जनवेद सिंह,	लोक निर्माण विभाग, वि/यां उपसंभाग रायसेन (वि/यां संभाग क्र.2 भोपाल)
2	47	अनु. जाति/ ओपन	श्री सौरभ चंदेरिया आत्मज श्री रघुवीर चंदेरिया,	लोक निर्माण विभाग, वि/यां उपसंभाग टीकमगढ (वि/यां संभाग सागर)
3	56	अनु. जनजति /ओपन	श्री दुर्योधन सोलंकी, आत्मज श्री कालूसिंह सोलंकी,	लोक निर्माण विभाग, वि/यां उपसंभाग नीमच (वि/यां संभाग उज्जैन)
4	60	अनु. जनजति /ओपन	श्री महेन्द्र भलावी, आत्मज श्री बारेसिंह भलावी,	लोक निर्माण विभाग, वि/यां उपसंभाग डिण्डोरी (वि/यां संभाग जबलपुर)
5	64	अनु. जनजति /ओपन	श्री संजय चौहान, आत्मज श्री रतन सिंह चौहान,	लोक निर्माण विभाग, वि/यां उपसंभाग झाबुआ (वि/यां संभाग इंदौर)
6	63	अनु. जनजति /महिला	सुश्री निकिता योवने, आत्मजा श्री लखन लाल योवने,	लोक निर्माण विभाग, वि/यां उपसंभाग हरदा (भ/प संभाग हरदा)
7	32	अन्य पिछड़ा वर्ग /महिला	सुश्री पुनम विश्वकर्मा, आत्मजा श्री एस.पी. विश्वकर्मा,	लोक निर्माण विभाग, वि/यां उपसंभाग पन्ना (वि/यां संभाग सागर)
8	39	अन्य पिछड़ा वर्ग /महिला	सुश्री प्रियंका चौरसिया, आत्मजा श्री चन्द्र किशोर चौरसिया,	लोक निर्माण विभाग, वि/यां उपसंभाग छत्तरपुर (वि/यां संभाग सागर)

शर्ते निम्नानुसार है :-

1. उपरोक्त नियुक्त अभ्यर्थियों की आपसी वरिष्ठता व्यापम द्वारा चयन कम के अनुसार रहेगी।
2. अभ्यर्थी को संपूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा,(आचरण नियम) 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा ।
3. उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि,स्थायीकरण,वरिष्ठता,पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें)नियम-1961 एवं मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम-1972 के अध्यधीन होंगे। सेवा संबंधी अन्य मुद्रे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्यधीन रहेंगे ।
4. मध्य प्रदेश शासकीय सेवक(अस्थायी/अर्द्धस्थायी)सेवा नियम-1960 में निहित नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान कर समाप्त की जा सकती । संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी ।
5. अभ्यर्थी को पदस्थगी वि/यां.संभाग में अपनी उपस्थिति देना है एवं शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि इत्यादि संबंधी मूल प्रमाण पत्र तथा उसकी सत्यापित छाया प्रतियां प्रस्तुत करना होगी ।
6. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध में भविष्य में प्रतिकूल रिस्ति या गड़बड़ी पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकती एवं संबंधित के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी ।
7. अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विहित विभागीय परीक्षाएँ (इंजीनियरिंग एवं लेखा) उत्तीर्ण करना होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने की दशा में उसकी परिवीक्षा अवधि नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी ।
8. अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर 15 दिनों के अंदर अपने पदस्थगी संभाग में उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।
9. म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ-9/3/2003/नियम/चार दिनांक 13/4/2005 के अनुसार दिनांक 1/1/2005 के पश्चात नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित होने वाले अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी ।
10. अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा ।
11. अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र अपने निकटस्थ अधिकारी को भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा संबंधित अधिकारी उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक से करवायेगा। यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट अभ्यर्थी के विरुद्ध पायी जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है ।

(इंजी.अधिकारी अग्रवाल)  
प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश,  
भोपाल, दूरभाष-2551485

क्रमांक 303 / 034 / 2008 / पार्ट-2.1 / २८१०  
तेलिपि :-

भोपाल दिनांक २६ / १२ / २०१५

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
4. नियंत्रक, मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल
5. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश
6. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, वि / यां, मंडल, भोपाल
7. अधीक्षण यंत्री (आई.टी.सैल) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि., भोपाल की ओर आदेश अपलोड करने हेतु।
8. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय रायसेन / टीकमगढ़ / नीमच / डिण्डोरी / झाबुआ / हरदा / पन्ना / छतरपुर
9. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, वि / यां, संभाग रायसेन / टीकमगढ़ / नीमच / डिण्डोरी / झाबुआ / पन्ना / छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। निर्देशित किया जाता है, कि नवनियुक्त उपयंत्रियों की उपस्थिति के समय नियमानुसार समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर, नवनियुक्त उपयंत्रियों को उनके पदस्थगी स्थल (वि / यां, उपसंभाग) में उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें एवं संबंधित की उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। निर्देशित किया जाता है, कि नवनियुक्त उपयंत्री की उपस्थिति के समय नियमानुसार समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर, नवनियुक्त उपयंत्री को उनके पदस्थगी स्थल (वि / यां, उपसंभाग) में उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें एवं संबंधित की उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
11. वरिष्ठ निज सहायक, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. स्थापना शीर्ष-302 / 304 / 305 कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि., भोपाल
13. श्री कपिल राजे, आत्मज श्री जनवेद सिंह, गौतम नगर मोरार, ग्वालियर-474006
14. श्री सौरभ चंद्रेश्या, आत्मज श्री रघुवीर चंद्रेश्या, सी-52, सुभाष नगर, हजीरा ग्वालियर-474003
15. श्री दुर्योधन सोलंकी, आत्मज श्री कालूसिंह सोलंकी, एम-248, नालंदा परिसर केशर बाग रोड, इंदौर-452012
16. श्री महेन्द्र भलावी, आत्मज श्री बारेसिंह भलावी, प्लाट नं. 16, बिहाईण्ड रिलायंस टावर रघुनाथ नगर, सिवनी-480661
17. श्री संजय चौहान, आत्मज श्री रतन सिंह चौहान, 2711, सेक्टर-ई, सुदामा नगर इंदौर-452009
18. सुश्री निकिता योवने, आत्मजा श्री लखन लाल योवने, पी.एच.नं. 180, पटेल नगर, कुंडी शाहपुर, बैतूल-460440
19. सुश्री पूनम विश्वकर्मा, आत्मजा श्री एस.पी.विश्वकर्मा, द्वारा:- श्री जगदीश दुबे, अपोजिट कोरी आटा चक्की, नियर काडा की बरिया, छतरपुर-471001
20. सुश्री प्रियंका चौरसिया, आत्मजा श्री चन्द्र किशोर चौरसिया, 121, गणेश घाट, पूरवियू सागर-470002 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश,  
भोपाल, दूरभाष-2551485

पंजीकृत डाक द्वारा

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश,

“निर्माण भवन,” प्रथम तल, प्लाट नं.27–28, अरेरा हिल्स, भोपाल(म.प्र.)

web site: [www.mppwd.gov.in](http://www.mppwd.gov.in)

email:-sepwdadminenc@mp.nic.in

Phone- 0755-2551316, Fax- 2556527

क्रमांक 303 / 034 / 2008 / पार्ट-2.1 / २८११

भोपाल, दिनांक ५/१२/२०१५

//आदेश //

मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल,भोपाल द्वारा विभाग में उपयंत्री(वि/यां) के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम-1972 (संशोधन सहित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विभाग में उपयंत्री (वि/यां) के पद पर वेतनमान -PB-2-₹.9300-34800+GradePay₹.3200/-में शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्तों सहित अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन स्थानापन्न रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

स.क्र.	संयुक्त वरि.क्रम	वर्ग	उम्मीदवार का नाम एवं पिता का नाम	नियुक्ति पश्चात प्रथम पदस्थगी स्थान का नाम
1	2	3	4	5
1	52	अनारक्षित/अस्थि बाधित ओपन	श्री प्रमोद पाल, आत्मज श्री प्रेमलाल पाल	लोक निर्माण विभाग, वि/याँ उपसंभाग धार (वि/याँ सभाग, इंदौर)
2	55	अनारक्षित/अस्थि बाधित ओपन	श्री अंकित अवस्थी आत्मज श्री संतोष अवस्थी	लोक निर्माण विभाग, वि/याँ उपसंभाग बालाघाट (वि/याँ सभाग, जबलपुर)
3	58	अनारक्षित/अस्थि बाधित ओपन	श्री कुलदीप लोढ़ा आत्मज श्री सुरेश लोढ़ा	लोक निर्माण विभाग, वि/याँ उपसंभाग खण्डवा (वि/याँ सभाग, इंदौर)


शर्ते निम्नानुसार है :-

1. उपरोक्त नियुक्त अभ्यर्थियों की आपसी वरिष्ठता व्यापम द्वारा चयन क्रम के अनुसार रहेगी।
2. अभ्यर्थी को संपूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा,(आचरण नियम) 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
3. उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि,स्थायीकरण,वरिष्ठता,पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें)नियम-1961 एवं मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम-1972 के अध्यधीन होंगे। सेवा संबंधी अन्य मुद्रे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्यधीन रहेंगे।
4. मध्य प्रदेश शासकीय सेवक(अस्थायी/अर्द्धस्थायी)सेवा नियम-1960 में निहित नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान कर समाप्त की जा सकगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
5. अभ्यर्थी को पदस्थगी वि/याँ.संभाग में अपनी उपस्थिति देना है एवं शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि इत्यादि संबंधी मूल प्रमाण पत्र तथा उसकी सत्यापित छाया प्रतियां प्रस्तुत करना होगी।

.....2

6. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध में भविष्य में प्रतिकूल स्थिति या गड़बड़ी पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी एवं संबंधित के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।
7. अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विहित विभागीय परीक्षाएँ (इंजीनियरिंग एवं लेखा) उत्तीर्ण करना होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने की दशा में उसकी परिवीक्षा अवधि नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।
8. अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर 15 दिनों के अंदर अपने पदस्थगी संभाग में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
9. म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक—एफ—9/3/2003/नियम/चार दिनांक 13/4/2005 के अनुसार दिनांक 1/1/2005 के पश्चात नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित होने वाले अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी।
10. अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।
11. अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र अपने निकटस्थ अधिकारी को भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा संबंधित अधिकारी उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक से करवायेगा। यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट अभ्यर्थी के विरुद्ध पायी जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति आदेश स्वभेद निरस्त माना जावेगा।

प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।



(इंजी. अखिलेश अग्रवाल)  
 प्रमुख अभियंता  
 लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश,  
 भोपाल, दूरभाष—2551485  
 भोपाल दिनांक 26/12/2015

पृ. क्रमांक 303/034/2008/पार्ट-2.1/२ नं १२

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
4. नियंत्रक, मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल
5. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश
6. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, वि/या. मंडल, भोपाल
7. अध्यक्ष, जिला मेडिकल बोर्ड, कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जयप्रकाश चिकित्सालय, जिला मेडिकल बोर्ड, भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. प्रशा/2015/24258, दिनांक 16/12/2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।
8. अधीक्षण यंत्री (आई.टी.सैल) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो. नि. वि., भोपाल की ओर आदेश अपलोड करने हेतु।
9. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इंदौर/जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं
10. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (वि/या.) सभाग इंदौर/जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। निर्देशित किया जाता है, कि नवनियुक्त उपर्युक्तियों की उपस्थिति के समय नियमानुसार समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर, नवनियुक्त उपर्युक्तियों को उनके

पदस्थगी स्थल(वि / यां.उपसंभाग) में उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें एवं संबंधित की उपस्थिति की सूचना / जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

11. वरिष्ठ निज सहायक,प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश,भोपाल
12. स्थापना शीर्ष-302 / 304 / 305 कार्यालय प्रमुख अभियंता,लो.नि.वि.,भोपाल
13. श्री प्रमोद पाल, आत्मज श्री प्रेमलाल पाल, 151 ए, महादेव टोटला नगर,बंगाली कालोनी,कनाडिया रोड,इंदौर-452016
14. श्री अकित अवरथी, आत्मज श्री संतोष अवरथी, द्वारा संतोष पांडे,नियर वेयरहाउस शास्त्री वार्ड,नरसिंहपुर-487001
15. श्री कुलदीप लोढा, आत्मज श्री सुरेश लोढा, 12 , लोढा भवन,जीवागंज मंदसौर-458001 की ओर सूचनार्थ।

प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश,  
13/10/2016